न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण सख्या:—145/2019 दायर दिनांक:— 16.10.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00306

1. केशन्ती पत्नि जसराम जाति मीना निवासी कोडिया तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी

————प्रार्थी

बनाम

1. गुलाब | पिसरान चन्दर जाति मीना
2. मिश्रया | निवासी कोडिया तहसील हिण्डौन

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री अशोक नीमनका प्रार्थी
2.अप्रार्थी न0 1 व 2 के खिलाफ
एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 14.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 121 रकवा 30 ऐयर, 128 रकवा 11 ऐयर, 222 रकवा 35 ऐयर, 483 रकवा 14 ऐयर कुल किता 4 कुल रकवा 90 ऐयर स्थित ग्राम कोडिया तहसील हिण्डौन में प्रार्थी व हिस्सा 1/3 एवं गैरसायल संख्या 1 व 2 प्रत्येक वहिस्सा 1/3, 1/3 के खातेदार काश्तकार हैं। आराजियात वर्णित मद नं0 2 प्रार्थना पत्र के 1/3 हिस्से को प्रार्थी ने दिनांक 21.06.2019 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व खातेदार मुस0 हुकमवाई से खरीद किया है, हुकमवाई विवादग्रस्त आराजीयात वर्णित मद नं0 2 प्रार्थना पत्र के खसरा नं0 121 पर काबिज एवं दखील थी एवं खसरा नं0 121 प्रार्थी की खातेदारी के अन्य खेतों से लगा होने के कारण प्रार्थी ने हुकमवाई पत्नि कैलासहाय से उसका 1/3 हिस्सा खरीद कर उसके कब्जे वाली 30 ऐयर भूमि पर कब्जा प्राप्त कर उसमें बाजरे की फसल काश्त की थी। इस प्रकार प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से 30 ऐयर भूमि खसरा नं0 121 पर काबिज एवं दखील है। शेष रकवे 60 ऐयर भूमि पर गैरसायल संख्या 1 व 2 काबिज एवं दखील है। इसी प्रकार प्रार्थी अपने कब्जे काश्त के आधार पर आराजीयात का बंटवारा कराने के अधिकारी है।

वाका दिनांक 10.10.2019 को प्रार्थी खसरा नं0 121 को आगामी फसल बावत् तैयार कर रहे थे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 हमाराहीयान मौके पर आये एवं कहने लगे कि तुम्हारे पास अपने हिस्से से अधिक भूमि है इसलिए इस खेत को अब तुम काश्त कर सकते इसे हम काश्त करेंगे। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को समझाने का प्रयास किया कि अपनी खातेदारी के चारों खसरा नं0 एक जैसे हैं समान उपजाऊ हैं खसरा नं0 121 मेरे स्वयं की खातेदारी के खेतों से लगा है इसलिए इसे काश्त करने में मुझे सुविधा है रही बात अधिक रकवे की तो उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा करा लेते हैं लेकिन अप्रार्थीगण किसी की एक मानने को तैयार नहीं है और वे प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं इसलिए प्रार्थना पत्र टीआई पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:05 IST
Reason: SelfAttested

अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी। जबकि अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाने में उन्हे कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है। इस प्रकार प्राईमाफेशी मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये जादेश अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण खसरा नं0 121, 128, 222, 483 कुल किता 4 कुल रकवा 90 ऐयर स्थित ग्राम कोडिया तहसील हिण्डौन के रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डॉक द्वारा की गई। अप्राथी नं0 1 व 2 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 14.03.2024 द्वारा अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में एकपक्षीय प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 45 खसरा नं0 121, 128, 222, 483 का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 16.10.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति ताफैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 14/5/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:05 IST
Reason: SelfAttested